प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल
बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं01 / 12–13
मोहीचंद चौधरी वनाम् श्री निवास शर्मा एवं अन्य
आदेश

0.05.12 आवेदक मोहीचंद चौधरी पिता दशई चौधरी साकिन सोहसा थाना मेंहन्दिया जिला अरवल ने अपने विद्धान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित जमीन का पैमाइश सरकारी अमीन से कराने एवं सीमांकन के उपरांत खरीदगी भूमि पर विपक्षीगण के द्धारा की जा रही जबरन बेदखली के प्रयास से मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा सोहसा थाना नं0 48 थाना मेहन्दिया जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न हैः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
107 / 26	230–231 नया 139–140 पुराना	6.75डी 0	उ0 – कवलधारी सिंह द0 – ठाकुर जी पू0 – रामपति सिंह प0 – बुटाई राम

वाद की प्रविष्टि की गई एवं विपक्षीगण की उपस्थित हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई ।

उभय पक्षों के विद्धान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया । आवेदक के विद्धान अधिवक्ता ने अपने पत्नी के नाम से क्रय की गई विवादित जमीन का सीमांकन हेतु यह वाद लायाहै।आवेदक की पत्नी अभी जीवित है। पत्नी के द्धारा वाद दायर करने हेतु आवेदक को किसी भी प्रकार का प्राधिकार प्राप्त नहीं है।पत्नी के जीवित रहते उनकी संपति पर पति का अधिकार नही होता है। अतः आवेदक को वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। अतःवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापति एवं संशोधित

20.09

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

20.09

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।